

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्या : / संविदा / विज्ञापित / 2019-20

दिनांक : 21 मार्च 2020

- तृतीय विज्ञापित -

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं शिक्षासाहाय, झाँसी में दिनांक 03 एवं 04 फरवरी 2020 को प्रथम बार एवं दिनांक 16 मार्च 2020 को द्वितीय बार चिकित्सा शिक्षकों के संविदा नियुक्ति किये जाने हेतु की गयी थीं इन इन्टरव्यू की कार्यवाही में जिन विशिष्टताओं में अर्ह अम्पर्थी उपस्थित नहीं हुये हैं, उक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 20 अप्रैल, 2020 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय, मेडिकल कालेज, झाँसी में आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम	विशिष्टता का नाम	आचार्य			सह आचार्य			सहायक आचार्य		
		UR	OBC	SC	UR	OBC	SC	UR	OBC	SC
1	आधोपेडिक्स			1			1			
2	ऑपथेल्मोलॉजी		1							
3	ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनीकोलॉजी				2	1				
4	एनाटॉमी	1					1			
5	एनेस्थीसियोलॉजी			1T	1	1			1	
6	ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी									1
7	कम्युनिटी मेडिसिन				1	1		1	1	
8	काडियोलॉजी	1			1		1			1
9	जनरल मेडिसिन		1			1			1	
10	जनरल सर्जरी						1			
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रिसपिरटरी मेडिसिन			1						
12	डर्मटोलॉजी, वेरेनोलॉजी एण्ड लेप्रोसी				1					
13	डेंटिस्ट्री					1				
14	न्यूरोलॉजी		1		1					
15	न्यूरोसर्जरी	1		1T		1				
16	नेफ्रोलॉजी				1				1	
17	प्लास्टिक सर्जरी						1	1		
18	पीडियाट्रिक्स					1				
19	पैथोलॉजी								1	
20	फार्माकोलॉजी						1	1		
21	फिजियोलॉजी							EWS		
22	फोरेंसिक मेडिसिन	1			1					
23	बायोकेमिस्ट्री		1							
24	माइक्रोबायोलॉजी	1				1				
25	युरोलॉजी	EWS								1
26	रेडियोडायग्नोसिस			1			1			1
27	रेडियोथेरेपी							1	1#	
28	साइकियट्री						1			1

Medical physicist, T- Trauma Center.

- 1- डॉक इन इन्टरव्यू दिनांक 30, अप्रैल 2020 को समय 12:00 बजे से 03:00 बजे के मध्य होंगे।
- 2- नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- 3- शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71-1-18-जी-63/2018 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को नियत वेतन देय होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्त शासन द्वारा समय समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न-भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
- 4- आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical Institution Regulation 1998 द्वारा एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना अनिवार्य है।
- 5- आयु सीमा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के मौखिक निर्देशानुसार सहायक आचार्य-60 वर्ष, सह आचार्य-64 वर्ष एवं आचार्य-68 वर्ष की आयु सीमा के अन्वर्थी शर्त मान्य होगी।
- 6- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी। संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।
- 7- पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। सभी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन को होगा।
- 8- शासनादेश संख्या 6/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी0-1 दिनांक 23-10-2019 के अनुसार सम्बन्धित विशिष्टता में अनारक्षित कॉलम में दर्शाये गये ई0डब्ल्यू0एस0 के पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्ल्यू0एस0) वर्ग का अर्ह अम्पर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पदों को अनारक्षित वर्ग के अम्पर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
- 9- तृतीय बार प्रकाशित विज्ञापित में भी यदि आरक्षित वर्ग के अर्ह अम्पर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के निरीक्षण के दृष्टिगत एवं वर्तमान में जनहित में, महामारी के रोकथाम के दृष्टिगत सशर्त उपलब्ध अम्पर्थी का साक्षात्कार लिया जायेगा। अन्तिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाना अपेक्षित है।
- 10- आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर एवं शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सी0-1, दिनांक 13-08-2019 का अनुपालन मान्य होगा।
- 11- इच्छुक अम्पर्थियों से अपेक्षा की जाती है, कि वे प्रार्थना पत्र के साथ अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों (समस्त शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण पत्र/रोध पत्रों की) स्वप्रामाणित छायाप्रतियाँ धार्यकृता सहित प्रेषित करेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।

संख्या : 1349/रिक्त/गै0का0झौ0/2019-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छठवीं तल, उ0 प्र0 लखनऊ।
- 2- प्रभारी अधिकारी-वेब साइट, मेडिकल कालेज, झाँसी को इस आदेश के साथ कि कालेज की वेब साइट पर सूचना अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 3- संयोजक, साक्षात्कार समिति, मेडिकल कालेज, झाँसी।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (विज्ञापन वर्गीकृत), सूचना भवन, पार्क रोड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226001 को इस सम्बन्ध में सूचित कि जनपद झाँसी के संस्करण में उक्त विज्ञापित निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।